इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



TEUIST VISIUS

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 183]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मई 2015—वैशाख 25, शक 1937

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मई 2015

अधि. क्र. 132-एफ-1-20-2013-अठारह-3.—यत: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (1) के अधीन कतिपय क्षेत्रों को मैहर नगरपालिका की सीमाओं के भीतर सिम्मिलित करने का आशय मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 12 जुलाई, 2013 में प्रकाशित किया गया था;

और, यत: कलक्टर को प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर राज्यपाल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (2) के अधीन विचार कर लिया गया है;

अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, नीचे दी गई अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पालिक क्षेत्र मैहर, जिला सतना की सीमाओं में सिम्मिलित करते हैं, अर्थात् :—

अनुसूची-एक नगर पालिक क्षेत्र मैहर की सीमाओं में सम्मिलित किए गए ग्रामों का क्षेत्र निम्नानुसार होगा :—

| अनुक्रमांक | जिला | तहसील | ग्राम का नाम | सम्मिलत | घोषित किए | क्षेत्र की |
|------------|------|-------|--------------|------------|-------------------|----------------|
| | | | | किए जाने | जाने वाला क्षेत्र | सीमा |
| | | | | वाले हल्का | (हैक्टर में) | |
| | | | | नंबर | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | सतना | मैहर | मानपुर | 46 | 502.937 हैक्टर | सम्पूर्ण ग्राम |
| 2 | सतना | मैहर | उमरी पैला | 49 | 290.419 हैक्टर | सम्पूर्ण ग्राम |
| 3 | सतना | मैहर | वैला खास | 47 | 90.190 हैक्टर | सम्पूर्ण ग्राम |
| | | | (ओइला) | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|------|--------------|------------------|------|----------------|-------------------|
| 4 | सतना | मैहर | परसोखा | 49 | 244.824 हैक्टर | सम्पूर्ण ग्राम |
| 5 | सतना | मेहर मेहर | लखनपुर | 49 | 99.762 हैक्टर | सम्पूर्ण ग्राम |
| 6 | सतना | मैहर | लखवार | 50 | 135.364 हैक्टर | सम्पूर्ण ग्राम |
| 7 | सतना | मैहर | अमिलिया | 54 | 130.837 हैक्टर | सम्पूर्ण ग्राम |
| 8 | सतना | मैहर | गिरगिटा | 54 | 262.279 हैक्टर | सम्पूर्ण ग्राम |
| 9 . | सतना | मैहर | तिघराकला | 50 · | 215.598 हैक्टर | सम्पूर्ण ग्राम |
| | सतना | मैहर | कटियाकला | 50 | 205.631 हैक्टर | सम्पूर्ण ग्राम |
| 10 | सतना | मैहर | हरनामपुर | 51 | 310,909 हैक्टर | सम्पूर्ण ग्राम |
| 11 | सतना | नहर मैहर | हरदुआ | 42 | 150.000 हैक्टर | सम्पूर्ण ग्राम |
| 12 | | नहर मैहर | अमङ्ग | 40 | 81.551 हैक्टर | सम्पूर्ण ग्राम |
| 13 | सतना | नहर मैहर | पटेहरा पटेहरा | 42 | 134.817 हैक्टर | ैं सम्पूर्ण ग्राम |
| 14 | सतना | नहर मैहर | उदयपुर | 41 | 243.917 हैक्टर | सम्पूर्ण ग्राम |
| 15 | सतना | | कोलहाई | 44 | 726.394 हैक्टर | सम्पूर्ण ग्राम |
| 16 | सतना | मैहर | <u> </u> | | 663.592 हैक्टर | सम्पूर्ण ग्राम |
| 17 | सतना | मैहर | अरकण्डी | 44 | 663.592 हक्टर | सन्पूर्ण प्रा |

नोट.—नगरपालिका परिषद्, नगरपालिका के अन्दर के 17 ग्रामों की वर्तमान सीमा में वृद्धि प्रस्तावित करती है जो रेखांकित की गई है. ग्राम अरकण्डी तथा ग्राम कोलाहाई जिसका कुल क्षेत्र 663.592 हैक्टर तथा 726.394 हैक्टर, कुल 1389.986 हैक्टर है, ग्राम पंचायत अरकण्डी का सम्पूर्ण क्षेत्र हैं. जिसमें से विभाग की अधिसूचना दिनांक 24 मई 1999, मध्यप्रदेश मां मेंहर शारदा देवी मेला अधिनियम, 1998 (क्रमांक 15 सन् 1998) तथा मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर अधिनियम, 2002 (क्रमांक 5 सन् 2003) के अनुसार कोलहाई का 48.643 हैक्टर क्षेत्र तथा अरकण्डी का 264.029 हैक्टर कुल 312.672 हैक्टर क्षेत्र मां शारदा देवी प्रबंध समिति मेहर के अनुसार अधिसूचित है तथा यह मां शारदा देवी प्रबंध समिति द्वारा शासित, धारित और प्रबंधित की जाएगी.

अरकण्डी ग्राम पंचायत के ऊपर दर्शित भाग का 312.672 हैक्टर क्षेत्र भी, जो मां शारदा प्रबंध समिति, मैहर के अधीन शासित, धारित तथा उसकी देखरेख में है, नगरपालिका, मैहर की स्थानीय सीमा के साथ इस शर्त के साथ निमिज्जित होगा कि इस क्षेत्र का शासन और प्रबंध मां शारदा प्रबंध सिमिति, मैहर द्वारा किया जाएगा. इस क्षेत्र के लिये मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) के नियम तथा उपबंध अकृत और शून्य होंगे. इस क्षेत्र का शासन व प्रबंध केवल मां शारदा देवी अधिनियम के अनुसार होगा और इस क्षेत्र के संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा. किसी अन्य विकास और क्रियाकलाप के लिये, यदि कोई हो, नगरपालिक निगम, मैहर मां शारदा प्रबंध समिति, मैहर से पूर्व अनुज्ञा/अनुमोदन प्राप्त करेगी. किसी विकास तथा अन्य क्रियाकलापों के लिये निर्णय लेने में मां शारदा प्रबंध समिति स्वतंत्र होगी. समिति द्वारा लिए गए निर्णय नगरपालिका अधिनियम से प्रभावित नहीं होंगे.

अनुसूची-दो

उपरोक्त अनुसूची-एक में विहित क्षेत्र को सिम्मिलित करने के पश्चात् नगरपालिका परिषद्, मैहर, जिला सतना की पुनरीक्षित सीमा निम्नानुसार होगी :—

उत्तर.— ग्राम मानपुर, उमरी पैला, वेला खास (ओईला) का सम्पूर्ण क्षेत्र, ग्राम वैला खास में स्थित लिलजी नदी सहित.

पूर्व.— ग्राम वेला खास (ओईला) लखनपुर, लखवार, अमिलिया एवं गिरगिटा ग्राम की पूर्वी सीमा से लगा ग्राम परसोखा का सम्पूर्ण प्रादेशिक क्षेत्र.

दक्षिण.— ग्राम गिरगिटा जो ग्राम हरनामपुर, हरदुआ कला एवं ग्राम अमड़ा से अमड़ा नाला तक के सम्पूर्ण प्रादेशिक क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है.

पश्चिम.— ग्राम उदयपुर, ग्राम कोल्हाई और अरकण्डी का सम्पूर्ण प्रादेशिक क्षेत्र जो ग्राम अमड़ा नाला के दक्षिण पूर्व से ग्राम मानपुर के पश्चिम उत्तर तक स्थित है.

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2015

क्र. एफ-1-20-2013-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-20-2013-अठारह-3 दिनांक 15 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतदद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 15th May 2015

Not. No.1-32-F-1-20-2013-XVIII-3.—Whereas, the intention to include the certain areas within the limits of Municipal area Maihar was published in the Madhya Pradesh Gazette on 12th July, 2013 under section 5-A of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);

AND, WHEREAS, the Governor has considered the objections submitted to the Collector under sub-section (2) of Section 5-A of the said Act;

Now, THEREFORE, in exercises of the powers conferred by sub-section (3) of Section 5-A of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the Governor of Madhya Pradesh is pleased to include the areas as specified in Schedule-I below within the limits of Municipal area, Maihar in the district Satna, namely:—

SCHEDULE-I

The areas of the villages included in the limit of Municipal council, Maihar, District Satna shall be as follows:—

| S.No. | District | Tehsil | Name of Village | Halka No. to be included | Area to be declared in Hectare | Limit of area |
|-------|----------|--------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Satna | Maihar | Manpur | 46 | 502.937 | Whole Village |
| 2 | Satna | Maihar | Umri Paila | 49 | 290.419 | 11 |
| 3 | Satna | Maihar | Baila Khas (Oila) | 47 | 90.190 | H |
| 4 | Satna | Maihar | Parsokha | 49 | 244.824 | |
| 5 | Satna | Maihar | Lakhanpur | 49 | 99.762 | !1 |
| 6 | Satna | Maihar | Lakhwar | 50 | 135.364 | " |
| 7 | Satna | Maihar | Amiliya | 54 | 130.837 | |
| 8 | Satna | Maihar | Girgita | 54 | 262.279 | |
| 9 | Satna | Maihar | Tighra Kala | 50 | 215.598 | 11 |
| 10 | Satna | Maihar | Katiya kala | 50 | 205.631 | |
| 11 | Satna | Maihar | Harnampur | 51 | 310.909 | |
| 12 | Satna | Maihar | Hardua | 42 | 150.000 | |
| 13 | Satna | Maihar | Amada | 40 | 81.551 | ·········· |
| 14 | Satna | Maihar | Patehra | 42 | 134.817 | *** |
| 15 | Satna | Maihar | Udaypur | 41 | 243.917 | *************************************** |
| 16 | Satna | Maihar | Kolhai | 44 | 726.394 | |
| 17 | Satna | Maihar | Arkandee | 44 | 663.592 | |

Note.—Municipal Council proposed to increase the current limit of 17 Villages within the municipality insert is outlined. Village Arkandi and Village Kolhai whose total area 663.592 hectare and

726.394 hectare total 1389.986 hectare is whole area of Arkandi Village Panchayat. Out of which as per department's Notification dated 24-5-1999. The Madhya Pradesh Maa Maihar Sharda Devi Mela Adhiniyam, 1998 (No. 15 of 1998) and the madhya Pradesh Maa Sharda Devi Mandir Adhiniyam, 2002 (No. 5 of 2003) area of Kolhai 48.643 hectare and Arkandi 264.029 hectare total 312.672 hectare are notified as property of Maa Sharda Prabandh Samiti, Maihar and it will be governed, possessed and managed by Maa Sharda Prabandh Samiti, Maihar.

As per above shown part of area of Arkandi village panchayat 312.672 hectare which is under governance, possession and under management of Maa Sharda Prabandh Samiti, Maihar shall be also submerged with territorial limits of Municipal Council, Maihar under condition as in this area governance and management shall be done by Maa Sharda Prabandh Samiti, Maihar. For this area, rules and provisions of the Madhya Pradesh Minicipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961 will be null and void. This area shall be only governed and managed as per Maa Sharda Devi Act and may not be interfere about this area. Any activity and other development. If any, in necessary condition, Municipal Council, Maihar shall take prior permission/approval by Maa Sharda Prabandh Samiti, Maihar. The Maa Sharda Prabandh Samiti shall be free for taking any decision about any development and other activities. Decision taken by the Samiti shall not be affected by the Municipalities Act.

As above village and area shown in total number of 17 village with area 4489.021 hectare, area of existing. Municipal 501.002 hectare and area of Ghurpura Village 104.694 hectare shall be in territory limit of Municipal Councie, Maihar, District Satna. Total area of Municipal Council, Maihar, shall be 5094.717 hectare.

SCHEDULE-II

- The revised boundary of the Municipal Council, Maihar, District Satna After including the area prescribed in Schedule-I above is as follows:—
- North—Whole territorial area of village Manpur, Umari Paila, Baila Khas (Oila) including lilfi river situated at Baila Khas, village.
- **East**—Whole territorial area of village Parsokha situated next to Eastern boundary of village Baila Khas (Oila), Lakhanpur, Lakhwar, Amiliya and Girgita village.
- South—Village Girgita which is situated Soutn-North of whole territorial area of village Harnampur Hardua kala and village Amada upto Amada Nala.
- West—Whole territorial area of village Udaipur, village Kolhai and Arkandi which is situated at South-West of village Amada Nala upto West-North area of village Manpur.
- 2. This Notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh MALAY SHRIVASTAVA, Principal Secy.